कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) मध्यप्रदेश ,भोपाल

क्रमांक संरक्षण / [illegible] 8 — भोपाल दिनांक 2[illegible]/5/03

प्रति,

समस्त वन संरक्षक,

(क्षेत्रीय एवं वन्य प्राणी)

मध्यप्रदेश ।

विषय: वन अपराधों की जॉच एवं निराकरण हेतु प्रचलित प्रपत्रों में संशोधन ।

जैसा कि आप सब को ज्ञात है कि वन अपराधों के निराकरण से संबंधित विभिन्न प्रपत्र 20वीं शताब्दि के प्रारंभ में तैयार किये गये थे एवं काफी हद तक आज की परिस्थितियों में अप्रासंगिक एवं अव्यवहारिक हो चुके है । 70के दशक के बाद विभाग में अनेकों अधिनियम एवं नियम बन जाने के कारण इन प्रपत्रों के उपयोग में काफी कठिनाईयॉ आ रही हैं । इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये वर्तमान में प्रचलित प्रपत्रों के स्थान पर नवीन प्रपत्र तैयार किये गये हैं जिनके नमूने प्रपत्र **MPFO 1/2003** से **MPFO 14/2003** आपको भिजवाये जा रहे हैं । कृपया आप इन प्रपत्रों को दिनांक 1 जुलाई 2003 से लागू करें । एक जुलाई, 2003 के बाद विभाग में पूर्व में प्रचलित सभी प्रपत्र निरस्त माने जायें एवं उनके स्थान पर नये प्रपत्र प्रारंभ किये जायें । इन प्रपत्रों में से प्रपत्र कमॉक **MPFO 4/2003** प्राथमिक वन अपराध सूचना (**POR**)का प्रपत्र है । कृपया इन प्रपत्रों की पुस्तकें पूर्व प्रथा के अनुसार शासकीय मुद्रणालय से तैयार करवाकर वन रक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें । प्रपत्र कमॉक **MPFO 10/2003** से लेकर प्रपत्र कमॉक **MPFO 14/2003** विभिन्न कार्यालयीन पंजियों के प्रारुप हैं । कृपया एक जुलाई 2003 के बाद वन अपराध से संबंधित पंजियॉ इन्हीं प्रारुपों के अनुसार तैयार करवाने की व्यवस्था करें ।

कृपया समयावधि को ध्यान में रखें एवं निर्धारित अवधि में प्रपत्रों को लागू करवाने की व्यवस्था अनिवार्य रुप से करें ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)

मध्यप्रदेश